मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी–3–7/2000/3/एक   भोपाल,दिनांक 22 जनवरी, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बावत् ।

संदर्भ :विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1.5.2000, व्दारा अनुकंपा नियुक्ति बावत् जारी एकजाई निर्देश एवं समय – समय पर जारी पूरक निर्देश दिनांक 20.08.2000 दिनांक 15.12.2000, दिनांक 23.07.2001, दिनांक 13.12.2001, दिनांक 31.7.2002, दिनांक 16.8.2002, दिनांक 8. 10.2002, दिनांक 22.11.2002, दिनांक 17.2.2004, एवं ज्ञाप क्रमांक सी–3–5/2005/3/ एक, दिनांक 16.5.2005 तथा दिनांक 28.9.2005 ।

––0––

संदर्भित पत्रों में उल्लेखित अनुकंपा नियुक्ति के परिपत्रों में जारी समस्त निर्देशों को राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त करते हुए निम्नानुसार एकजाई निर्देश प्रसारित करता है :–

1 – अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति :–

निम्न परिस्थिति में अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी –

1. किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर

2 – अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता

2.1. दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी, अथवा पूर्णतः आश्रित पति को, अथवा

2.2. दिवंगत शासकीय सेवक का पुत्र,अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा जो तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी अविवाहित, विवाहित अथवा तलाकशुदा पुत्री दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो ,अथवा

2.3. अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता–पिता की अनुशंसा के आधार पर

2.4. एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होने पर दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी/ पति की अनुशंसा एवं पति/पत्नि के न होने पर परिवार की सर्वसम्मति से किसी एक

सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।

3 – अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्तें

3.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो,

3.2 शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

3.3 सात वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ.आई.आर.दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता–पता नहीं होने का प्रतिवेदन दिया गया हो। सात वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी।

4 –अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्रता

निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी :–

4.1. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मंडल, परिषद् , आयोग आदि में नियोजित हो,

4.2. यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है

4.3. सार्वजनिक उपक्रमों के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.4. केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम/मंडल/आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति।

4.5. यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

4.6. दिनांक 1.1.2007 के पूर्व अस्वीकृत अथवा निराकृत प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

4.7. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के बिन्दु क्रमांक 2.1 से 2.4 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोडकर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.8 कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लियें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।

5 – अनुकंपा नियुक्ति के पद

निम्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी :–

5.1 अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भरती के रिक्त निम्नतर पद पर दी जावेगी – यथा सहायक ग्रेड–3, संविदा शाला शिक्षक

(संबंधित से सहमति प्राप्त कर), एवं 3500–5200 तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोडकर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इनमें वार्डबॉय, पटवारी, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयन लिपिक (कार्यपालिक) स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद, ड्रायवर, तकनीकी पद भी शामिल हैं।

5.2 अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थियों को जेल विभाग में प्रहरी एवं आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर शारीरिक रूप से सक्षम होने एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

5.3 यदि किसी पद के लिए अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण/परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें नियुक्ति दी जावेगी।

5.4 तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाये।

5.5 तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर पद की अर्हता होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकेगी।

6 – अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हतायें तथा शिथिलीकरण

6.1 मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर, शैक्षणिक योग्यता धारित की हो।

6.2 वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल 17–7/94/ब–7/चार,दिनांक 30.9.94 द्वारा रिक्त पदों को केवल अतिशेष कर्मियों से भरने संबंधी निर्देश एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर स्वीकृत पदों में अतिशेष कर्मचारियों से भरती की शर्त अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होगी, अर्थात् इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

6.3 भरती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट रहेगी।

6.4 अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक शासकीय सेवक की पत्नी के मामलें में पूर्णतः शिथिल रहेगी। साथ ही, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जाये।

6.5 दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नी के लिए सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिए तीन वर्ष का समय दिया जावेगा तथा अन्य आश्रितों के लिए एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है।

7 – अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

7.1 यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में कोई पात्र वयस्क सदस्य नहीं है तो शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके पश्चात् यदि वह वयस्क होता है तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

8. जिन विभागों/कार्यालयों में पद रिक्त हैं वहां प्रक्रिया

8.1 शासकीय विभागों/विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयों में पदों की उपलब्धता होने पर संबंधित नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा, जिस जिले में जितने पद रिक्त हैं, उस जिले के कलेक्टर को अनुकंपा नियुक्ति के समसंख्यक (जितने पद रिक्त हैं) आवेदकों की जानकारी भेजने हेतु लिखा जावेगा।

8.2 इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कलेक्टर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यार्थी के नाम पैरा 9.2 में दर्शाई गई वरिष्ठता एवं संबंधित पद की योग्यता अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

8.3 शासकीय अमले में आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त हो चुके हैं या किए जाना हैं, वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जायेगी। साथ ही, आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

9 – अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया

9.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट–एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा।

9.2 अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची कार्यालय/विभाग/कलेक्ट्रेट में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से किया जावेगा, अर्थात् जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले नियुक्ति दी जावेगी।

9.3 अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो या जैसा संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो।

9.4 अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था।

9.5 यदि नियमित वेतनमान के पद उपलब्ध हों, तो मृतक शासकीय सेवक के आश्रितों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जाये।

9.6 यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था, अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देंगे।

9.7 यदि उस विभागाध्यक्ष में पद खाली नहीं है एवं उसी विभाग के अंतर्गत अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव रिक्ति वाले विभागाध्यक्ष को रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दे सकेंगे।

9.8 यदि विभाग के किसी भी विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालयों में पद खाली न हो एवं दिवंगत परिवार ने पैरा 10.1 अनुसार कोई विकल्प नहीं दिया हो तो विभाग में पद रिक्त न होने

का प्रमाण–पत्र देकर प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजा जावेगा जिस जिले में दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थ था।

9.9 अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन प्राप्त होने से एक माह की समय–सीमा में उक्त बिन्दु क्रमांक 9.5 से 9.8 की कार्यवाही प्रत्येक विभाग सुनिश्चित करेंगे। वही प्रक्रिया वर्तमान में लंबित प्रकरणों के संबंध में भी अपनाई जावेगी।

9.10 जिला कलेक्टर, इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को संकलित कर जिले के उन कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे जहां अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नियमित पद उपलब्ध हैं।

9.11 नियमित पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर आवेदक से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे।

9.12 सहमति प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन संविदा शाला शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को पैरा 9.13 अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अग्रेषित किये जावेंगे।

9.13 अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदक का निवास स्थान ग्रामीण क्षेत्र में होने पर जिले की संबंधित जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में होने पर जिले की संबंधित नगरीय निकाय को अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन जिला कलेक्टर व्दारा अग्रेषित किये जावेंगे।

9.14 निवास स्थान अनुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में संविदा शाला शिक्षक के पद रिक्त न होने पर जिले की किसी भी जनपद पंचायत या जिला पंचायत अथवा शहरी निकायों में पद रिक्त होने पर इनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन पत्र संबंधित कलेक्टर व्दारा भेजा जावेगा।

9.15 संबंधित नगरीय एवं ग्रामीण निकाय के संविदा शाला शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी व्दारा कलेक्टर से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों पर पात्रतानुसार तथा अधिकतम एक माह में नियुक्ति दी जावेगी।

10. पद उपलब्ध न होने/संविदा शाला शिक्षक हेतु असहमति देने पर कार्यवाही

10.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं जिन आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर जाने की सहमति नहीं दी जाती है अथवा सहमति दी जाती है परन्तु संविदा शाला शिक्षक के पद उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस आशय की लिखित सहमति के आधार पर दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवके के पति/पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे। इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 (पांच) वर्षों तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा।

10.2 इस अवधि (5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की अवधि) के पश्चात् मृतक कर्मचारी के नामांकित को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी परंतु अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

10.3 बिन्दु क्रमांक 10.1 का यह लाभ तभी दिया जावेगा जब मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो।

10.4 बिन्दु क्रमांक 10.1 का का लाभ लेने वाले परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

10.5 बिन्दु क्र0 10.1 अनुसार अंतिम आहरित वेतन की सहमति देने की स्थिति में प्रकरण तद्नुसार स्वीकृति हेतु कलेक्टर व्दारा संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालय को जहां से अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ है, तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

10.6 जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नहीं होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त एक लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग/कार्यालय व्दारा प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जाय।

10.7 अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर असहमति व्यक्त करने पर जिन प्रकरणों में उक्त बिन्दु क्रमांक 10.1 एवं 10.2 अनुसार भी सहमति नहीं दी जाती है, उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम विभाग/कार्यालय व्दारा निरस्त कर नस्ती किए जावेंगे।

10.8 समस्त कलेक्टर व्दारा बिन्दु क्र0 10.7 के अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन निरस्त किये जाने वाले प्रकरण संबंधित विभाग/कार्यालय को तत्काल भेजना सुनिश्चित करेंगे।

11 – वचन–पत्र/शपथ पत्र

11.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य पैरा–4 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत् अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदक से शपथ–पत्र लिया जाए।

11..2 दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसके परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12 – कार्यभारित/आकस्मिकता एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधान :

12.1 कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को देय ग्रेच्युटी सहित एकमुश्त एक लाख रूपये की राशि ग्रेच्युटी–सह–अनुकंपा के नाम से दी जाय। उदाहरणार्थ – यदि किसी कर्मचारी की 40,000 ग्रेच्युटी बनती है तो 60,000 अनुकंपा अनुदान की राशि होगी।

13– अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

13.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात् किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

13.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी।

13.3 नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा परन्तु दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

13.4 सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2001 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 नवंबर, 2002 द्वारा जारी निर्देश जहां साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति देने से है, यथावत् रहेंगे।

13.5 जिन विभागों में एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के पद रिक्त हैं वे समस्त विभाग उनके अधीन रिक्त पदों पर इन निर्देशों के जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का इन निर्देशों के तहत निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

13.6 विभागों द्वारा प्रेषित एवं जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिला कलेक्टरों द्वारा एक माह की समय सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

13.7 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में समय सीमा का पालन न करने या उनके निराकरण में हीला–हवाला करने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

14. <u>अनुकम्पा नियुक्ति की जानकारी प्रेषित करना:–</u>

14.1 समस्त विभागों एवं जिला कलेक्टरों व्दारा इस परिपत्र के परिपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी 15 फरवरी, 2007 तक अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को संलग्न परिशिष्ट– दो अनुसार प्रेषित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक सी–3–7 / 2000 / 3 / एक भोपाल,दिनांक 22 जनवरी, 2007
प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल

5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर
13. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
14. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
17. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर0के0गजभिए)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. (क) दिवंगत शासकीय सेवक का पूर्ण नाम ....
(ख) पदनाम ....(ग)
कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत..
शासकीय सेवक पदस्थ था.

2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम .... (ख)
दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध .... (ग)
स्थायी पता .... (घ)
वर्तमान पता .... (ड.)
जन्मतिथि अंको में ....
शब्दों में .... (च)
आयु .... (छ)
धर्म .... (ज)
जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति..
या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें)
(झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण .... (ञ)
मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय/महाविद्यालय..
से उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण
(ट) अन्य अर्हताओं का विवरण .... (ठ)
दिवंगत शासकीय सेवक व्दारा छोड़ी गई तथा उसके आश्रित परिवार या परिवार के सदस्यों व्दारा धारित संपत्तियों का विवरण.

अचल संपत्ति	**चल संपत्ति**
1. कृषि भूमि.........	नगद/जमा राशि...
2. मकान	स्कूटर ....
3. दुकान	टेक्सी ....
4. फैक्ट्री	बस ....
5. अन्य	अन्य ....

(ड) चल/अचल संपत्तियों सहित सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का विस्तृत विवरण (दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के कारण परिवार को प्राप्त होने वाले उपादानों/पेंशन आदि को छोड़कर) ....

3. (क) दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु सहमतिः–

स. क्र.	पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक के साथ संबंध	यदि सेवारत या व्यवसायरत हो तो उसका विवरण सेवारत हैं शासकीय/अर्ध शासकीय या निजी सेवा	यदि सेवारत या व्यवसायरत हों तो उससे मासिक/वार्षिक आय	आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु सहमति सहमत है अथवा नहीं एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7	

यदि दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो तो उसका विवरण. ....

घोषणा पत्र

1. मैं एतद् व्दारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे व्दारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, यदि मेरे व्दारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे व्दारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व. श्री .... (दिवंगत शासकीय सेवक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करूंगा/करूंगी. बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरे व्दारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थानः–..................................   आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांकः–................................

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. आवेदक/आवेदिका व्दारा आवेदन पत्र में दिए गए सम्पूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गयी है।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार, आय एवं संपत्ति को जो विवरण दिया है उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है।
3. मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही, दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)
नाम..
कार्यालय का नाम..
....

टीप :–आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः व्दारा अभिप्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न की जावें:–

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंक सूची/प्रमाण पत्र.
3. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र.
4. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र.

5. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण पत्र.
6. मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी/स्नातक या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र.

परिशिष्ट– दो

विभाग का नाम

1.1.2007 को विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय में लंबित प्रकरणों की संख्या	रिक्त पदों पर दी गई अनुकम्पा नियुक्ति की संख्या	जिला कलेक्टर को भेजे गये प्रकरणों की संख्या	बिन्दु क्र0 10.1 अनुसार अंतिम आहरित वेतन के प्रकरणों की संख्या	बिन्दु क्रं. 10.7 अनुसार निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरण	प्रकरण लंबित रहने के कारण एवं इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7

कलेक्ट्रेट जिला ....

1.1.2007 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में लंबित प्रकरणों की संख्या	रिक्त पदों पर दी गई अनुकम्पा नियुक्ति की संख्या	विभागाध्यक्षों/कार्यालयों को वापस भेजे गये प्रकरणों की संख्या	बिन्दु क्र0 10.1 अनुसार अंतिम आहरित वेतन के विकल्प प्रकरणों की संख्या	बिन्दु क्रं. 10.7 अनुसार निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरण	प्रकरण लंबित रहने के कारण एवं इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7